रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2163] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 18, 2010/आश्विन 26, 1932

No. 2163] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2010/ASVINA 26, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2569(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को, उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

[फा. सं.-17/2/2010-पीएल]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2010

S.O. 2569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints the 18th day of October, 2010, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 17/2/2010-PL]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2570(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "राष्ट्रीय हरित अधिकरण" की, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, स्थापना करती है ।

[फा. सं.-17/2/2010-पीएल]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2010

S.O. 2570(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby establishes "The National Green Tribunal" to exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the said Act.

[F. No. 17/2/2010-PL]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2571(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री एल.एस. पान्टा को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है ।

[फा. सं.-17/2/2010-पीएल]
रजनीश दु. , संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2010

S.O. 2571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice L. S. Panta, Former Judge of the Supreme Court as the Chairperson of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

[F. No. 17/2/2010-PL]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.